हर इन्सान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 17 अंक : 6 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 जून, 2026

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

संभावित संकेतों के साथ जयपुर में मना 19 वां स्थापना समारोह

जयपुर। 31 मई। एक बड़े परिवर्तन का संकेत देते हुए समता आन्दोलन का 19 वाँ स्थापना दिवस समारोह शहर में झोटवाड़ा स्थित संघ शक्ति भवन के सभागार में सम्पन्न हुआ।

पहली बार मध्य प्रदेश की नवनिर्मित राजनैतिक पार्टी सपाक्स की अध्यक्ष और महामंत्री को भी मंच पर बैठाया गया और विचार साझा करने का अवसर भी दिया गया। इसी तरह मध्यप्रदेश से ही एडवोकेट अनिल मिश्रा पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश बार कौंसिल को भी आमंत्रित किया गया। विशेष आकर्षण का केन्द्र रहे करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना।

समता गीत व दीप प्रज्वलन के बाद शुरू हुए समारोह में सबसे पहले समता आन्दोलन के दो सदस्यों जस्टिस पानाचंद जैन और ब्रिगेडियर को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजली अर्पित की गई। पूर्व आईजी की अध्यक्षता में शुरू हुए सम्बोधन में विकास शर्मा ने सभी का अभिनंदन और स्वागत किया।

पहले वक्ता के रूप में बोलते हुए समता ज्योति अखबार के 18 सालों से सम्पादक योगेश्वर झाड़सरिया ने एक प्रस्ताव एक प्रार्थना के तहत उपस्थित जनसमूह से दोनो हाथ उठाकर ये प्रस्ताव पास करवाया कि जाति आरक्षण पर अंकुश लगाने के लिये आरक्षित वर्ग के सभी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपना जाति प्रमाणपत्र सरकार को लौटा दें। प्रस्ताव अनुमोदन के बाद वक्ता ने मंच से प्रार्थना करते हुये कहा कि हमें यूजीसी मामले पर विचार करते हुए निर्णय करना चाहिये कि किसी भी सरकारी आयोजन में सवर्ण शामिल नहीं होंगे।

घनश्याम दास ने कहा कि 70 साल से हमें जातियो में तोड़ा गया है। जब तक इसमें एकता नहीं आयेगी तब तक यूजीसी नियम जैसे प्रयोग होते रहेंगे।

भारतीय व्यापार संघ की तरफ से बाबूलाल गुप्ता ने भी विचार प्रकट किये और कहा कि समता आन्दोलन की कार्यशाली और उपलब्धियाँ नमन के लायक हैं। इसके उद्देश्य बहुत ही समसामयिक और उपयोगी है। गुप्ता ने समता आन्दोलन से सहयोग बनाए रखने की बात दोहराई।

समता आन्दोलन की तरफ से क्रीमीलेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिका लगाने वाले जुझारू एस.सी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राकेश वर्मा ने बोला कि नियमों में एक रूपता लानी जरूरी है। क्रीमीलेयर वाले सारा लाभ लूटते हैं और वास्तविक वंचित को वांछित सम्मान भी नहीं मिलता । सन 2016 में हमने कहा था जान चली जायेगी तब भी क्रिमीलेयर के मुद्दे से पीछे नहीं हटूँगा

जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामनारायण घाणका ने 81 साल की उम्र में गरजते हुये कहा कि समता आन्दोलन मील का पत्थर साबित होगा। खुद को मिली तरह तरह की धमकियों का जिक्र करते हुए घाणका ने कहा कि आरक्षण बचाओ मीणा भगाओ का नारा उन्हीं ने दिया था। लेकिन आज मानते हैं कि बेहतर है, आरक्षण खत्म ही हो जाये।

मध्य प्रदेश में सामान्य, पिछडा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी/कर्मचारी का संगठन था सपाक्स जिसे 2 अक्टूबर 2018 को ''सपाक्स पार्टी'' में बदल दिया गया। इसी पार्टी की अध्यक्ष पूर्व आईएए डा0 वीणा घाणेकर ने समता आंदोलन को बधाई देते हुए कहा कि हम जात का जहर बच्चों में भर रहे हैं। हमारी सरकारें हमें खण्ड-खण्ड में बाँट रही हैं। अंग्रेजों ने हमें केवल दो भागों में बाँटा ये गली-गली बाँट रहे हैं इन्होने संयुक्त परिवार खाये अब एकल परिवार भी खा रहे है। हमें जातियों में बाँटना बंद किया जावे।

सभी के आकर्षण का केंद्र रहे महिपाल सिंह मकराना ने पहले विनम्रता से कहा कि मुझे समता आन्दोलन से जब-जब बुलाया गया है मैं अवश्य ही आता हूँ। फिर हुंकार भरते हुए कहा कि यूजीसी नियमों की मांग किसने की थी? किसी से नहीं। सुदामा के बेटे को अगड़ा मान रहे हो ये स्वीकार्य नहीं है। डा. भीमराव ने मात्र 10 साल के लिये आरक्षण लागू किया था और अपने लोगों ने इसे लगातार आगे बढ़ा कर घोड़े को खच्चर और खच्चर को घोड़ा बनाने का काम किया जा रहा है। अत: हमें चरण चुम्बन बंद करना चाहिये क्योंकि पार्टियाँ जानती है कि जायेंगे कहा? बाह्मण-वैश्य को भी मुखर होकर बोलना पड़ेगा। हम अर्थात करणी सेना 600 कि.मी. की यात्रा कर रही है। यूजीसी के माध्यम से बच्चों के बीच वैमनस्य को कम करने के लिये लड़ रहे हैं।

जोधपुर संभाग के समता आन्दोलन अध्यक्ष कैलाश राजपुरोहित का मानना रहा कि हजारों भाषणों से एक काम अधिक महत्वपूर्ण है। यूजीसी के नये नियम देश की लुटिया डुबों देंगे।

पूर्व आईजी पुलिस हरि प्रसाद शर्मा ने कहा कि समता आन्दोलन ने एक विजन दिया है जो लागू होगा ही होगा। राजस्थान में जाति आरक्षण 65 प्रतिशत तक बढ़ाया जा चुका है। इसके खिलाफसंघर्ष करने वाले स्तुल्य हैं। हमें हमारे विजन को पूरा करने के लिये एकता के विजन को पूरा करना जरूरी है।

सपाक्स पार्टी के महामंत्री हीरा लाल त्रिवेदी पूर्व आईएएस ने कहा कि हमने भी समता आन्दोलन से प्रेरणा ली है। प्रश्न उठाते हुए वे बोले एट्रोसिटी एक्ट क्यों? हमारा मानना है कि किसी के भी साथ अन्याय हो उसके खिलाफ एक्ट बने। हमें क्या करना चाहिये इस पर काम होना चाहिये। हम मानते हैं कि हमारे अपने 5 लोग भी संसद में पहुंच गये तो ये समस्या खत्म जायेगी क्योंकि यूजीसी नियमों को जात से जोड़ना गलत है।

डा. अम्बेडकर को संविधान निर्माता नहीं मानकर देश की जड़ता को आमूल चूल हिलाने वाले और इसी बिंदू पर 5 दिन जेल में बंद रहने वाले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वकील अनिल मिश्रा से संविधान के आर्टिकल 14 में दर्ज समानता का उल्लेख करते हुए कहा कि यही समता आन्दोलन का उद्देश्य है। अब हमें कुछ एग्रेसिव होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। केवल भारत में जाति आरक्षण है। बीजेपी 2014 से हमारे बल पर सत्ता पर काबिज हैं लेकिन एक भी कदम सवर्णों के हित में नहीं उठाया। सभी बिरादियो में ऐसे लोग हैं, जिन्हें आरक्षण चाहिये।

- शेष पृष्ठ - 4 पर

अध्यक्ष की कलम से

''उदासीन अदालते''

साथियों,

रहीम का एक जग प्रसिद्ध दोहा है ''रहिमन चुप है बैठिये देखि दिनन को फेर, जब नीके दिन आई हैं, बन्त न लगिए देर''। ये कालजयी दोहा न निराश करता है न आशा देता है। जीवन के सच का उद्घाटन करता है।

जहाँ तक बात जीवन के सच की है तो देश 140 करोड लोगों का अपना-अपना सच होता रहा है आज भी है। सभी 140 करोड के सच एक सच से जुडे है। और वो है हमारा संविधान। ये संविधान लचीला है या लचर इस पर शोध या बहस हो सकती है। लेकिन, हमारा सच ये है कि हम पूरी तरह संविधान पर आश्रित '' समता आन्दोलन '' है।

हमारी ताकत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोई में अपनी बात को तार्किक ढंग से सिद्ध करने की है। लेकिन लगता है कि बड़ी अदालतों पर या तो अपवित्र दबाव है अथवा उनका स्वभाव बदल गया है। यदि कोई दबाव है तो सिद्ध नहीं किया जा सकता है और स्वभाव बदल गया है तो वो दिखाई दे रहा है।

कम से कम हमें ये साफ दिखाई देता है कि जात के आधार पर आरक्षण अब कोई मुद्दा नहीं रह गया। कारण ये है कि बड़ी अदालते इस मुद्दे पर बिल्कुल भी संजीदा दिखाई नहीं देती हैं। इन हालातों में तथ्यत: कहा जा सकता है कि रहीम का दोहा सही है। या तो चुप बैठ जायें या अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करे ।

सुझाव आमंत्रित हैं।

जय समता।

सम्पादकीय

''चलो नई पार्टी बनाते है''

यदि देश में कुछ लोकतंत्र है तो पार्टी का बनना और उसका रजिस्ट्रेशन होना एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन किसी भी नयी पार्टी का गठन और उसका चलना सामान्य प्रक्रिया नहीं है। पहली बात तो रजिस्ट्रेशन के लिये 100 लोगों के आई डी कार्ड, शपथ पत्र ही कठिन हैं। मिल जाते और बाकी शर्तें पूरी करके पार्टी पंजीकृत हो भी जाये तो उसको चलाने के लिये जिस त्याग, तपस्या और समर्पण की आवश्यकता होती है उसका सहज मिलना संभव नहीं है।

देश में 06 राष्ट्रीय और 60 क्षेत्रीय दलों का रजिस्ट्रेशन छोडकर सैकड़ों पार्टियां सिर्फ पंजीकरण तक सीमित हैं। इनसे से कतिपय दल तो जात के आधार पर बने हैं लेकिन पंजीकरण के समय दिये जाने वाले शपथपत्र अथवा पार्टी के संविधान में इसक। उल्लेख नहीं किया जाता है । आज की बात करे तो विवादित यूजीसी नियमों के विरोध में केवल यूपी, मध्यप्रदेश, राजस्थान में अचानक 15 नई पार्टियॉ गठित हो गई है। सपाक्स जैसी पार्टी जो कभी इसी नाम का कथित सवर्ण और पिछड़ों का कर्मचारी संगठन हुआ करता था वह 2 अक्टूबर 2018 को पार्टी बना और आज तक एक पार्षद भी नहीं जितवा सकी है।

लोकतंत्र को चंद्र खिलौना समझने वाले लोग समझते है कि अपनी माँग मंगवाने के लिये बिना किसी तैयारी अथवा दृष्टि के आधार पर एक या दो जातीय समूहों के बल पर पार्टी चलाई जा सकती है। ऐसा ही प्रयोग बड़े सरकारी पद से स्तीफा देकर सार्वजनिक जीवन में उतरे अलंकार अग्निहोत्री का ''राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा'' भी है। ये साहेबान यूपी में 22 लाख सदस्य बन जाने का दावा करते हैं? मजे की बात ये कि पूरे प्रदेश में बन रहे संगठन के नेटवर्क में सभी पदों पर ब्राह्मण बैठाए गये है? ऐसी ही एक दूसरी पार्टी है सर्व समाज सनातन पार्टी। इसके अध्यक्ष भी शीतला प्रसाद पांडे अपनी पार्टी नेटवर्क में केवल अपनी जाति के लोगों को पदासीन करते जा रहे है। ऐसे और भी कितने उदाहरण दिये जा सकते है। इस तरह की पार्टियों को कम से कम भाजपा बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती है। समझदार लोग ये जानते और मानते है कि कम से कम ब्राहमणों को लेकर बनाई गई हर पार्टी में 85 से 95 प्रतिशत सदस्य कथित हिन्दूवादी संगठनों के है और वे एक प्रतिशत भी विश्वसनीय नहीं है।

जात के आधार पर बनने वाली पार्टियों में सबसे प्रमुख है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन इसे भी स्पष्ट बहुमत कभी नहीं मिला। आखिर इस पार्टी ने सवर्णों को भी पार्टी का सम्मानित हिस्सा माना और एक बार पूर्ण बहुमत ले पाई।

पार्टियॉ अपने सदस्यों की संख्या बढाती है। इस मामले में आज बीजेपी सबसे आगे है जिसके 16 करोड़ सदस्य हैं। इसकी विरोधी कांग्रेस के मुश्किल से सवा दो करोड सदस्य है। बाकी पार्टियों के पास फोलोवर्स तो हो सकते हैं लेकिन सदस्य बहुत कम। इसी सदस्यता की बड़ी संख्या के बल पर भाजपा निर्बाध शासन कर रही है। अत: नई पार्टी बनाने की सोचने वाले हमारे इस सम्पादकीय को सन्द के रूप में पढे।

जय समता ।

– योगेश्वर झाड़सरिया

स्थापना समारोह पश्चात समीक्षा बैठक

पीयूष माथुर बने समता आन्दोलन के जयपुर जिलाध्यक्ष

जयपुर। प्रदेश कार्यालय में समता आन्दोलन के 19 वें स्थापना दिवस समारोह के बाद कार्यकारिणी की एक बैठक हुई।

राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायणद शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक मे क्रमश: योगेन्द्र मेघसर कार्यकारी अध्यक्ष, महामंत्री एस.एस.राठौड के अलावा दीपक सिंघल, दुर्गादास, ऋषिराज राठौड, श्रीकांत शर्मा, रविन्द्र पारीक, डा. श्याम सुन्दर सेवदा, कमाण्डर गोस्वामी, कर्नल आर एस बावडी, डाल सिंह शेखावत, आर एन गौड, सुनील जैन, योगेश्वर झाडसरिया आदि ने खुलकर अपने विचार प्रकट करते हुए 31 मई को आयोजित स्थापना दिवस समारोह को एक सफल आयोजन बताया। लेकिन समारोह में मध्य प्रदेश की पार्टी सपाक्स की उपस्थिति पर आपत्ति दर्ज करते हुए माना गया कि समता आन्दोलन का गैर राजनैतिक रूप बना रहना चाहिये।

जयपुर में नये शहर अध्यक्ष की नियुक्ति अति शीघ्र की जाकर यह आवश्यक माना गया कि कम से कम जयपुर के चार डी सी पी क्षेत्रों में अलग-अलग चार समता अधिवेशन किये जावे। निर्धारित हुआ कि इस तरह का पहला आयोजन जिलाध्यक्ष दीपक सिंघल के नेतृत्व में शांतिनगर क्षेत्र में दीपावली से पहले आयोजित किया जावेगा।

31 मई समारोह का लेखा प्रस्तुत करते हुए सुनील जैन ने बताया कि सभी खर्च निकालकर लगभग 90 हजार से एक लाख रुपये तक की बचत हुई है। इस तरह की बचत प्रदेश के दूसरे हिस्सों के आयोजनों में भी होने की सूचना है। इस पर अध्यक्ष पाराशर ने व्यवस्था दी कि ये सभी बचत केन्द्रीय कार्यालय में ही सम्बंधित जिला या तहसील मुख्यालय के खातों में जमा होगी और जरूरत पड़ने पर वे इसे खर्च कर सकते हैं।

दुर्गादास ने नीतिगत प्रश्न उठाते हुए कहा कि पहले हमारे आयोजनों में एक साफ विजन हुआ करता था। अब ऐसा नहीं रह गया है। इस विषय पर निकट भविष्य में अलग से विचार मंथन करने पर सहमति बनी।

बैठक में इस विषय पर गंभीर मंत्रणा हुई कि जिस युवा वर्ग और उसके भविष्य के लिये काम किया जा रहा है उसकी स्वयम् की भागीदारी नदारद है। दूसरी तरफ यह उत्साहवर्धक है कि संघ शक्ति भवन कार्यालय के आयोजन में 70 से 75 प्रतिशत भागीदारी नये लोगो की हुई है।

पीयूष माथुर की सक्रियता और सहयोग की सहाहना करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष की प्रस्तावना पर उन्हें जयपुर जिले का नया अध्यक्ष मनोनीत किया गया।।

ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए आय सीमा 12 से 15 लाख के बीच करने के संकेत: अठावले

जयपुर। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने आर्थिक कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए आय सीमा 12 से 15 लाख रुपए करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभी 8 लाख से कम सालाना आय वालों को ही ईडब्ल्यूएस में आरक्षण मिलता है, जिसे बढ़ाने की मांग आ रही है। ऐसे में मंत्रालय और नीति आयोग ईडब्ल्यूएस आरक्षण में आय सीमा बढ़ाकर 12 से 15 लाख रुपए करने पर विचार कर रहा है।

अठावले ने यहां खासाकोठी परिसर में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि गैर एससी, एसटी, ओबीसी के 8 लाख रुपए तक आय सीमा वाले लोगों को 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलता है।

कांग्रेस सरकारों ने क्यों नहीं करवाई जातिगत जनगणना

अठावले ने कहा कि कोविड के कारण जनगणना नहीं हो पाई। इस बार सरकार जातिगत जनगणना करवा रही है।

राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि उनकी पार्टी की इतने लंबे समय तक सरकार रहीं, तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई?

अठावले ने कहा कि मोदी सरकार बिना भेदभाव राज्यों को विकास के लिए बजट दे रही हैं। राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा मदद करने का प्रयास रहा है।

पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परिणाम पर उठे सवाल

कटऑफ आरक्षित वर्ग की माइनस में

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी-2025 के 1100 पदों पर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद से सवालों के घेरे में है। परिणाम के विश्लेषण में सामने आया कि सामान्य वर्ग को छोड़कर कई आरक्षित श्रेणियों में दस्तावेज सत्यापन के लिए विचारित अभ्यर्थियों की अंतिम कटऑफशून्य से भी नीचे है। विशेषज्ञों का कहना है कि पशु चिकित्सा अधिकारी जैसा तकनीकी और विशेषज्ञता वाला पद पशुधन की सेहत, रोग नियंत्रण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ा हुआ है। ऐसे में यदि किसी श्रेणी में चयन सीमा शून्य से नीचे तक पहुंच रही है, तो यह स्थिति गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है। सबसे कम कटऑफ परिणाम पर नजर डालें तो अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी में सबसे कम 11.74 अंक पर अभ्यर्थी विचारित सूची में शामिल हुए हैं। इन श्रेणियों में रिक्त पदों और उपलब्ध अभ्यर्थियों के अनुपात के कारण माइनस अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी दस्तावेज सत्यापन के लिए मौका मिला है। जबकि सामान्य महिला वर्ग की कटऑफ57.38 अंक रही, जो अधिकांश आरक्षित श्रेणियों की कटऑफ से काफी अधिक है।

आयोग ने पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए कुल 2165 अभ्यर्थियों की विचारित सूची जारी की है।

पौराणिक कथन : 'अतल'

'' चर्चित सात पातालों में से दूसरे का नाम। इसे परम पुरूष की जंघा माना गया है''

दौड़ो दौड़ो भरसक दौड़ो,
संघातों को पीछे छोड़ो।
सबको सुख से रहने का हक-
नहीं घरौंदा कोई तोड़ो।।

कविता

'श्रम ही पूजा''

पद के मद में हो चूर सिपाही,
बोले ये ऐलान सुनो,
धरती भारत के नागरिकों
अब सत्ता फरमान सुनो।

योग्यता चाहे जितनी सही हो,
संघर्ष फिर महान करो,
जाति वंश के आधारों पर तुम
अधिकारों का दान करो।

सुनते ही वो तीखा क्रोधित स्वर,
जैसे रण का शंख बजा,
युवा हृदय में भड़की ज्वाला सी,
जैसे धरती सूर्य सजा ।

लगता वाणी में तेज अग्नि का,
स्वर निर्भीकी और प्रखर।
अन्यायों के विरुद्ध उठी यहाँ,
जनमानस की तेज लहर।

दिखते होंगे तुम्हें ये केवल,
राज्य पाने के हथियार,
पर हमको तो दिखता है इनमें
योग्यता पर अत्याचार।

क्या कहते कि मेहनत करके भी
पीछे हम रह जाएँगे,
योग्य होकर भी जन्म के कारण,
हम ठुकराए जाएँगे ।

न जाति बड़ी, न होता जन्म बड़ा,
सबसे ऊँचा है परिश्रम।
तपकर खुद को जिसने जहाँ घड़ा,
बदले वही सफलता क्रम।

हमने श्रम को ही पूजा माना,
कि कर्म मानते हैं अभिमान।
प्रतिभा ही पहचान हमारी,
भारत का यही सम्मान।

अनिल शर्मा, अलवर

दृष्टिकोण : सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के संरचनात्मक स्वरूप पर उठाए सवाल

सुनिश्चित करना होगा कि आरक्षण का लाभ सीमित परिवारों तक केन्द्रीत न हो

हाल ही सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में लागू वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के संरचनात्मक स्वरूप पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। न्यायालय ने ने पूछा कि यदि किसी परिवार ने शिक्षाए आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक पदों के माध्यम से पर्याप्त सामाजिक उन्नति प्राप्त कर ली है, तो क्या उनके बच्चों को भी लगातार आरक्षण का लाभ मिलता रहना चाहिए, विशेष रूप से उन परिवारों के लिए, जिनमें माता.पिता आइएएस उच्च सरकारी पदों, बड़े व्यापारी या प्रभावशाली राजनीतिक एव संस्थागत भूमिकाओं में हैं।

न्यायालय का संकेत स्पष्ट था कि यदि सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो चुके वर्गों तक ही आरक्षण का लाभ लगातार केंद्रित रहेगा, तो वास्तविक सामाजिक गतिशीलता और अवसरों का व्यापक विस्तार संभव नहीं होगा। आज देश में दलित, आदिवासी और अत्यंत पिछड़े वर्गों से आने वाले व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और मुख्य न्यायाधीश जैसे सर्वोच्च पदों पर हैं। यह परिवर्तन भारतीय संविधान की सामाजिक न्याय आधारित व्यवस्था और आरक्षण नीति की ऐतिहासिक भूमिका को दर्शाता है।

अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण के भीतर उप.वर्गीकरण को मान्यता देते हुए संकेत दिया कि जिस प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर् की अवधारणा लागू है, उसी प्रकार अनुसूचित जाति.जनजाति वर्गों में भी इस पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, अभी तक देश के किसी भी राज्य में इसे लागू नहीं किया गया है।

आज देश में ऐसे हजारों परिवार हैं, जिन्होंने आरक्षण, शिक्षा और सरकारी अवसरों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण प्राप्त कर लिया है। उनके बच्चे बेहतर स्कूलों, महंगे कोचिंग संस्थानों, तकनीकी संसाधनों और प्रभावशाली सामाजिक नेटवर्क के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अनेक गरीब परिवार, चाहे वे किसी भी जाति से होंए आज भी बुनियादी शिक्षा, पोषण, डिजिटल संसाधन, अंग्रेजी शिक्षा और मार्गदर्शन जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।

वर्ष 1950 में अनुसूचित जाति सूची में लगभग 607 जातियां थीं, जो आज बढ़कर लगभग 1200 तक पहुंच चुकी हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति सूची 241 से बढ़कर 744 हो गई है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग 3000 से बढ़कर 5000 से अधिक जातियों तक पहुंच चुका है। इस विस्तार से यह स्पष्ट होता है कि समय के साथ अधिक से अधिक समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण ढांचे में शामिल हुए हैं।

शैक्षणिक अंतर भी स्पष्ट हैं। आइआइटी मुंबई में 2026 शुल्क ढांचे में सामान्य वर्ग के विद्यार्थी के लिए लगभग 11.79 लाख रुपए फीस, जबकि अनुसूचित जाति.जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए लगभग पूर्ण छूट है। आइआइटी जमशेदपुर में बुक बैंक सुविधा के तहत अनुसूचित जाति.जनजाति के विद्यार्थियों को अधिक पुस्तकों की उपलब्धता और सामान्य वर्ग को सीमित पुस्तकों की व्यवस्था है।

इसी प्रकार बिहार सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 में भी सामान्य और अनुसूचित जाति.जनजाति वर्ग के लिए अलग.अलग आर्थिक सहायता तय की गई है। ये उदाहरण यह सवाल उठाते हैं कि क्या वर्तमान व्यवस्था में सामाजिक न्याय और आर्थिक सहायता की सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, या नीति निर्माण में दोनों अवधारणाएं मिश्रित हो रही हैं। बेरोजगारी और आर्थिक दबाव से जुड़े आंकड़े भी इस बहस को जटिल बनाते हैं। 2023.24 में बेरोजगारी दर सामान्य वर्ग में 3.8 फीसदी, अनुसूचित जाति में 3.3 फीसदी, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3.1 फीसदी और अनुसूचित जनजाति में 1.9 फीसदी थी।

भारत की आरक्षण व्यवस्था केवल आर्थिक सहायता नही, बल्कि ऐतिहासिक, सामाजिक अन्याय के प्रतिकार का संवैधानिक माध्यम रही है। इसका समाधान केवल आरक्षण बढ़ाने या आरक्षण समाप्त करने जैसी ध्रुवीय बहसों में नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और अवसरों की समान पहुंच के आधार पर निष्पक्ष समीक्षा में है।

यदि आरक्षण का उद्देश्य सबसे वंचित समुदायों तक अवसर पहुंचाना है, तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इसका लाभ सीमित परिवारों तक केंद्रित न हो। सामाजिक न्याय की संवैधानिक भावना तभी सार्थक होगी, जब अवसरों का विस्तार समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े समुदायों तक पहुंचे, न कि केवल उन वर्गों तक जो पहले ही सामाजिक गतिशीलता और संस्थागत शक्ति हासिल कर चुके हैं।

-गजेंद्र सिंह लोक नीति विश्लेषक

केंद्रीय आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज ने भरी हुंकार

भरतपुर। केंद्रीय सेवाओं में जाट आरक्षण की मांग को लेकर सोमवार को नुमाइश मैदान में आयोजित हुंकार सभा में समाज के लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की। भरतपुर, धौलपुर और डीग जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले हुई सभा में विभिन्न वक्ताओं ने आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और समाज से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प जताया।

वक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से चली आ रही इस मांग को लेकर पूर्व में भी कई आंदोलन हुए है, लेकिन अब तक केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है।

सभा में विधायक जगत सिंह ने कहा कि आरक्षण को लेकर मन में बहुत टीस है। समाज के साथ इस मुद्दे पर हमेशा साथ रहा हूं और आगे भी रहूंगा।

वहीं, विधायक डॉ. शैलेष सिंह ने कहा कि पूर्व में भी आरक्षण के के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार तक बात की गई थी। इसमें जो भी खामियां रही है, उन्हें दूर करने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार से फिर बात की जाएगी।

सांसद संजना जाटव ने कहा कि जब मैंने आरक्षण के मुद्दे को लोकसभा में उठाना चाहा तो मुझे रोक दिया गया। समिति के संयोजक नैमसिंह फौजदार ने कहा कि आरक्षण नहीं मिलने तक यह लड़ाई जारी रखी जाएगी।

विधायकों ने सीएम के खिलाफबोलने से रोका, छोड़ गए सभा

बेनीवाल ने भाजपा सरकार के खिलाफ बोलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल का नाम लिया तो नदबई विधायक जगत सिंह उठे और बेनीवाल को हाथ से इशारा कर रोका। ऐसे में बेनीवाल ने भी इशारे से उनकी बात का समर्थन किया और बात बदल दी। इतने में ही राज्य सरकार के खिलाफ उनके सामने कोई भी बात नहीं सुनने की कहकर विधायक जगत सिंह व डीग.कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेष सिंह वहां से चले गए। इस पर बेनीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि शायद दोनों विधायक आरक्षण की पर्ची लेने गए हैं।

यह है आरक्षण प्रकरण

भरतपुर और धौलपुर के जाटों को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण देने की मांग 1998 से चल रही है। दो वर्ष पूर्व अलग बने डीग जिले को भी इस मांग में शामिल किया गया है। वर्ष 2013 में केंद्र सरकार ने भरतपुरए धौलपुर सहित 9 राज्यों के जाटों को केंद्रीय ओबीसी आरक्षण दिया था।

हालांकि 10 अगस्त 2015 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यह आरक्षण समाप्त हो गया। इसके बाद लये संघर्ष के उपरांत 23 अगस्त दान करने के जाटों को राज्य 2017 को पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ओबीसी आरक्षण दियाए लेकिन केंद्र स्तर पर आरक्षण अब तक बहाल नहीं हो सका है।

जयपुर ने मनाया समता आन्दोलन समिति का 19वां स्थापना समारोह

पृष्ठ-1 का शेष:-

अनिल मिश्रा ने कहा कि आज शासन, प्रशासन, पुलिस कोई आपके साथ नहीं हैं। सलेक्शन. नियुक्ति, प्रमोशन, इलेक्शन सब जगह आरक्षण है जबकि आरक्षित फिर भी सफ्ल नहीं है।

मिश्रा ने कहा कि पहले ब्राह्मणों को मारो, फिर क्षत्रियों को। वैश्य अपने आप बैठ जायेंगे। एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण आव्हान करते हुए उन्होने अपने मूल मुद्दे पर कहा कि अम्बेडकर को सकपाल कहने में किस बात का डर है। क्योंकि भीमराव मूलतः सकपाल है और उन्हें ब्राह्मण गुरु अम्बेडकर का उपनाम उन्हें मिला है। बिना मांग से थोपा गया यूजीसी नियम के माध्यम से हिन्दु राष्ट्र के स्थान पर सकपाल राष्ट्र बनाया जा रहा है। उन्होने जोर देकर कहा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जिस दिन हाथ मिला लेगे सब कुछ बदल जायेगा।

समता आन्दोलन के प्रदेश कार्यकारी अधक्ष योगेन्द्र मेघसर ने कहा कि समता आन्दोलन आज पूर्ण युवा (18 साल) हो गया है। हमें समतावादी से समझौतावादी नहीं होना है। भाजपा और कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सांप काटे या नाग काटे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें जो दूसरी श्रेणी का नागरिक माने हम उसका विरोध करेंगे। राठौड़ ने पीयूष माथुर का अधिकतम आर्थिक सहयोग के लिये आभार प्रकट किया।

अंत में समता आन्दोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने सभी का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का मंच संचालन दुर्गादास ने सुंदर ढंग से संभाला।

दीपक सिंघल, जयपुर जिलाध्यक्ष के संयोजन में सुनील जैन, ऋषिराज राठौड, डा. श्याम सुन्दर सेवदा, एस.एस.राठौड ने योगेन्द्र मेघसर के नेतृत्व में सारा आयोजन सम्पन्न किया। पृष्ठभूमी की सारी व्यवस्था सुभाष छीपा ने संभाली।

जयपुर स्थापना समारोह की झलकियाॅ

अलवर ने मनाया समता स्थापना समारोह

जातिगत आरक्षण देश के लिए अभिशाप है -समता आन्दोलन

अलवर। आज पेंशनर भवन में समता आन्दोलन का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने बताया कि जाति आधारित आरक्षण देश के लिए अभिशाप है। जातिगत आरक्षण से जातिगत वैमनस्य बढ़ रहा है, जातिगत राजनीति बढ़ रही है, जातिगत वैमनस्य बढ़ रहा है, जातिगत ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, देश जातिगत गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है। जातिगत आरक्षण के कारण ही अपात्र व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण को लूट रहे हैं और पात्र व्यक्ति लगातार वंचित होते जा रहे हैं।

यूजीसी जैसे काले कानून भी जातिगत आरक्षण और जातिगत राजनीति की ही देन है। भाजपा के लिए यह यूजीसी कानून आत्मघाती कदम साबित होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि यदि केंद्र और राज्य सरकार ने हमारी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की तो आने वाले चुनावों में इनको सबक सिखाया जायेगा।

मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि समता आन्दोलन एक समतावादी विचारधारा का आन्दोलन है। इस संस्था में एससी प्रकोष्ठए एसटी प्रकोष्ठए ओबीसी प्रकोष्ठ भी काम कर रहा हैए यह एक स्पष्ट प्रमाण है कि यह आन्दोलन सभी वर्गों के साथ हैए पूरी तरह संवैधानिक संघर्ष कर रहा हैए अतः मेरा पूरा समर्थन इस आन्दोलन के साथ है।

कार्यकारी अध्यक्ष योगेंद्र सिंह मेघसर ने बताया कि इस वर्ष समता आन्दोलन के संगठन को ग्राम पंचायत स्तर तक बढ़ाया जाएगा। सलाहकार रामनिरंजन गौड़ ने कहा कि हमारे अजा अजजा प्रकोष्ठ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से क्रीमिलेयर को बाहर करवाने के लिए गम्भीरता से प्रयास कर रहा है। इस विषय पर हमारी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2018 से लम्बित है।

प्रदेश महामंत्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सरकारें जातिगत दबाव के कारण पदौन्नति में आरक्षण सम्बन्धी सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को लागू नहीं कर रही है जिससे सामान्य और ओबीसी वर्ग के लाखों कार्मिक अविधिक अन्यायए अपमान और लगातार भारी आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। लोकप्रशासन जातिगत गुटों में बंट गया हैए समतावादी लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

विधानसभा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रवींद्र पारीक ने बताया कि जातिगत आरक्षण की बुराई से देश को मुक्ति दिलाने के लिए समता आन्दोलन संवैधानिक और प्रजातांत्रिक तरीकों से सशक्त लड़ाई लड़ रहा है। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 20 सीटों तक समेटने में समता आन्दोलन के संघर्ष का ही हाथ था।

विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष एडवोकेट ऋषिराज राठौड़ ने बताया कि समता आन्दोलन विधायिका में असंवैधानिक आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए भी लगातार संघर्ष कर रहा है। हमने इस विषय पर वर्ष 1999ए2009 और 2019 में याचिकाएं लगा रखी हैं जो सभी सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित हैं।

जिला अध्यक्ष रामावतार सिंह चौहान ने कहा कि इस वर्ष अलवर की सभी तहसीलों और ग्राम पंचायतों में समता आन्दोलन की इकाइयों को सक्रिय किया जायेगा।

सम्मेलन में बड़ी संख्या में समता वादियों ने भाग लिया। अलवर से राजेश शर्मा दीपक मिश्रा मधुसूदन शर्मा अवधेश सिंह सुरेश नागपाल रेनू मिश्रा आकाश मिश्रा व्यक्त किया इस अवसर पर रेनू मिश्रा को अलवर जिला महिला समता आंदोलन के जिला अध्यक्ष और आकाश मिश्रा को युवा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष नियुक्त कियाण्ण्ण्ण्ण्ण् ने अपने विचार व्यक्त किए। यूजीसी के काले कानून को निरस्त किए जाने तक भाजपा का प्रत्येक चुनाव में विरोध करने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। मंच संचालन राजेश शर्मा और अशोक शर्मा ने किया।

जयपुर स्थापना समारोह की झलकियाॅ

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in